

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 178/EEC(V)


Dated: 22/04/2025

It is certified that the existing building **Divine Global School** at **Village – Harpur, Tehsil and Post – Zamania, District – Ghazipur, U.P.** consists of the following blocks and floors:

| Details of Blocks in the School: | Block (1) | Block (2) | Block (3) | Block (4) | Block (5) | Block (6) |
|----------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| No. of Floor(s) in the Block | 3 | No. of Floors | No. of Floors | No. of Floors | No. of Floors | No. of Floors |

The building is owned/occupied by **Divine Global School** and has complied with the Building Safety Requirements as per the National Building Code Rules. The verification was conducted by the concerned officers of P.W.D. Ghazipur (**Department/Government Name**) on 21/04/2025 (**Date of Inspection**) in the presence of Mr. Prakash Yadav – Harpur, Zamania, Ghazipur (**Name and Address of the Manager/Secretary or Representative**). The building/premises is fit for occupancy and can be used for school operations from 22/04/2025 (**Effective Date**) for a period of 5 Years. (**No. of Years**), in accordance with the rules and subject to compliance with specific conditions mentioned below:

Issued on 22/04/2025 (**Date**) at Ghazipur (**Location**) by:


रामवीर सिंह
सहायक अभियन्ता
निर्माण विभाग-1, लोहनी वि०
गाजीपुर जिला

Signature with Seal:
Name: Ramveer Singh
Designation: Assistant Engineer Civil
Name & Address of the Department/Office:
Ghazipur, Uttar Pradesh



सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।

विषय: डिवाईन ग्लोबल स्कूल, हरपुर, जमानियां, गाजीपुर हेतु भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप चेकलिस्ट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर का पत्रांक-460/आ0लि0/2022, दिनांक 12.10.2022.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में डिवाईन ग्लोबल स्कूल, हरपुर, जमानियां, गाजीपुर हेतु जॉचोपरान्त भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप 22 बिन्दुओं की चेकलिस्ट बनाकर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-चेकलिस्ट की प्रति।

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
गाजीपुर

पत्रांक 1973/1/2022

दिनांक-04/11/2022

प्रतिलिपि: प्रबन्धक, डिवाईन ग्लोबल स्कूल, हरपुर, जमानियां, गाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
गाजीपुर



| क्र० | सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु | जॉय आख्या |
|------|--------------------------------|-----------|
|------|--------------------------------|-----------|

भवन की चेक लिस्ट

| | | |
|-----|---|---------------------|
| 01. | क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजिनियर से बनवाया गया है? | हाँ |
| 02. | क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है? | हाँ |
| 03. | क्या भवन तीन मजिल से अधिक उँचा है? | हाँ |
| 04. | क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है? | 7850 m ² |
| 05. | क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मीटर खुला स्थान है? | हाँ |
| 06. | क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है? | हाँ |
| 07. | क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एव हवा का सर्कुलेशन है? | हाँ |
| 08. | क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है? | हाँ |
| 09. | क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है, यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी? | R.C.C. सीकी है |
| 10. | क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बने हैं? | हाँ |
| 11. | क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रैक है? | नहीं |
| 12. | क्या कक्षों की छतों की उँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (छोटे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है? | हाँ |
| 13. | क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं उँचाई 4.50 मी० है? | हाँ |
| 14. | क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के जहाँ क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है? | हाँ |
| 15. | क्या कक्षा में न्यूनतम दरवाजे हैं? | हाँ |
| 16. | क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम नाप (1.0मी० उँचाई 2.0मी०) है? | हाँ |
| 17. | क्या विद्यालय भवन यदि दो मजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है? | हाँ |
| 18. | क्या एक मजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है? | हाँ |
| 19. | क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्पिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं? | हाँ |
| 20. | क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लायन्सेज (First aid Fire Fighting Appliance) की व्यवस्था है? | हाँ |
| 21. | क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है? | हाँ |
| 22. | क्या भवन में उद्बुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है? | हाँ |



अतिरिक्त अभियन्ता
देवकली एम्स नहर प्रखण्ड-द्वितीय
गाजीपुर

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
गाजीपुर

सहायक अभियन्ता
प्राथमिक अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड-गाजीपुर



अतिरिक्त अभियन्ता
नगर पालिका प्रखण्ड-22
जमानिया (गाजीपुर)